रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1370] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 5, 2018/चैत्र 15, 1940
No. 1370] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 5, 2018/CHAITRA 15, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2018

का.आ. 1514(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, बिहार कहा गया है) गठित करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(1) श्री बी. एन. झा, - अध्यक्ष ;
मकान सं. 48, ए एन पथ,
नार्थ एसके पुरी, पटना, बिहार-800013

(2) श्री नित्या नंद सिंह मौर्य, - सदस्य ;
सिविल इंजीनियरी विभाग,
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना

(3) वन संरक्षक-सह-अपर सचिव, - सदस्य सचिव ।
पर्यावरण और वन विभाग,
बिहार सरकार

2. प्राधिकरण, बिहार के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण, बिहार ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो उक्त अधिसूचना में उपदर्शित हैं ।

4. प्राधिकरण, बिहार, बिहार राज्य के लिए इस अधिसूचना के पैरा-5 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति की सिफारिशों के आधार पर अपना निर्णय देगा ।

5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, बिहार की सहायता के प्रयोजन के लिए बिहार सरकार के परामर्श से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति, बिहार गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(1) श्री मुरारजी मिश्रा,
विजय नगर, नियर टेंपल,
रूकुनपुरा, पटना-800014 — अध्यक्ष ;

(2) डॉ. समीर कुमार सिन्हा,
वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया,
एफ-13, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 — सदस्य ;

(3) डॉ. अमर नाथ वर्मा,
10192 एटीएस एडवांटेज, अहिंसा खंड-1,
नियर हैबिटेड सेंटर, इंदिरापुरम,
गाजियाबाद-201014 — सदस्य ;

(4) डॉ. शरदेन्दु,
वनस्पति विज्ञान विभाग,
पटना विज्ञान महाविद्यालय — सदस्य ;

(5) सदस्य सचिव,
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड — सदस्य सचिव ।

6. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति, बिहार के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति, बिहार ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो उक्त अधिसूचना में उपदर्शित हैं ।

8. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति, बिहार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगा और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।

9. बिहार सरकार, प्राधिकरण बिहार और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति, बिहार के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने को किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन, जिसके अन्तर्गत स्थान, परिवहन और इसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी ।

10. प्राधिकरण, बिहार के अध्यक्ष और सदस्यों तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति, बिहार के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक के लिए फीस, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता सरकार के सुसंगत नियमों के अनुसार संदेय होंगे ।

[फा. सं. जे-11013/36/2008-आईए. II(I)]

ज्ञानेश भारती, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2018

S.O. 1514(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Bihar (hereinafter referred to as the Authority, Bihar) comprising of the following members, namely: -

(1.)	Shri B. N. Jha, House No. 48, A N Path, North SK Puri, Patna, Bihar - 800 013	-	Chairman;
(2.)	Shri Nitya Nand Singh Mourya, Department of Civil Engineering, National Institute of Technology Patna	-	Member;
(3.)	Conservator of Forest-cum-Additional Secretary, Department of Environment & Forest, Government of Bihar	-	Member Secretary.

2. The Chairman and members of the Authority, Bihar shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Bihar shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Bihar shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 of this notification for the State of Bihar.

5. For the purposes of assisting the Authority, Bihar, the Central Government, in consultation with the Government of Bihar, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Bihar comprising of the following members, namely :-

(1.)	Shri Murarijee Mishra, Vijay Nagar, Near Temple, Rukunpura, Patna - 800014	Chairman;
(2.)	Dr. Samir Kumar Sinha, Wildlife Trust of India, F-13, Sector - 8, Noida, Uttar Pradesh - 201301	Member;
(3.)	Dr. Amar Nath Verma, 10192 ATS Advantage, Ahinsha Khand - 1, Near Habitat Centre, Indirapuram, Ghaziabad - 201014	Member;
(4.)	Dr. Shardendu, Department of Botany, Patna Science College	Member;
(5.)	Member Secretary, Bihar State Pollution Control Board	Member Secretary.

6. The Chairman and members of the State Level Expert Appraisal Committee, Bihar shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The State Level Expert Appraisal Committee, Bihar shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

IndiaCode

8. The State Level Expert Appraisal Committee, Bihar shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the views of the majority shall prevail.

9. The Government of Bihar shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Bihar and the State Level Expert Appraisal Committee, Bihar, and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and members of the Authority, Bihar and the Chairman and members of the State Level Expert Appraisal Committee, Bihar shall be paid in accordance with the relevant rules of the Government of Bihar.

[F.No. J-11013/36/2008-IA-II(I)]

GYANESH BHARTI, Jt. Secy.

IndiaCode

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.04.09 20:02:02 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.